

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 11.08.2016

प्रेस—नोट

आयोग द्वारा मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के पदों हेतु अभ्यर्थी श्री श्योपत कुमार विश्नोई, रोल नं०-100998, जन्म दिनांक-25.03.1990 निवासी— पुराने शिव मंदि के पास, पुगल रोड, बंगलानगर, बीकानेर द्वारा उक्त पदों हेतु वांछित अनुभव प्रमाण पत्र के संदर्भ में चयन में अनुभव का लाभ प्राप्त करने के मंतव्य से आयोग के सम्मुख झूठा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के कारण मान० आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में उनकी अभ्यर्थिता एवं अस्थाई चयन निरस्त करते हुए भविष्य में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से पाँच वर्ष के लिए विवर्जित (**Debar**) कर दिया गया है।

सचिव